न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीनाआई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 267/2021

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
ताराचन्द बिड़ला पुत्र श्री किशनगोपाल निवासी–भाटों की ढाणी, जवडिया, तहसील व जिला पाली		1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली 2. तहसीलदार पाली 3. सरपंच ग्राम पंचायत गिरादडा, प0स0 पाली, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर पाली क्रमांकः एफ.12(3)( )राज./16/5831 दिनांक 13.09.2016

उपस्थित–

1. श्री आर0के0 राठी, वकील अपीलाण्ट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3 बावजूद सूचना व नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 30.12.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट ने जिला कलेक्टर पाली द्वारा तहसील पाली स्थित, ग्राम भाटो की ढाणी, ग्राम पंचायत गिरादड़ा के खसरा नम्बर 507 रकबा 117.15 बीघा भूमि, किस्म गै0मु0 गोचर में से 03 बीघा भूमि की किस्म खारीज कर सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी पाली के पत्रांकः राजस्व/2015/1253 दिनांक 26.08.2015 द्वारा ग्राम भाटों की ढाणी, ग्राम पंचायत गिरादड़ा, तहसील पाली के खसरा नम्बर 507 रकबा 117.15 बीघा भूमि, किस्म गै0मु0गोचर में से 03 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवाया गया। उक्त गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बल्दो की ढाणी तहसील पाली के खसरा नम्बर 422 रकबा 19.05 बीघा भूमि, किस्म बारानी सोयम में से 03 बीघा भूमि को गोचर भूमि घोषित करना प्रस्तावित किया गया। इस संबंध में ग्रा0पं0 गिरादडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.05.2015 (कोरम) एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त प्रस्ताव पर गोचर भूमि की क्षति–पूर्ति हेतु ग्राम बल्दों की ढाणी तहसील पाली के खसरा न0 422 रकबा 19.05 बीघा भूमि, किस्म बारानी सोयम में से 03 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर इसे गोचर भूमि घोषित करते हुए, ग्राम भाटो की ढाणी, ग्रा0पं0 गिरादड़ा तहसील पाली के खसरा नं0 507 रकबा 117.15 बीघा भूमि, किस्म गै0मु0गोचर में से 03 बीघा भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत किस्म खारिज करते हुए नक्शा ट्रेस अनुसार सड़क मध्य से निर्धारित भूमि को छोडते हुए सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थी की खरीद एवं कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम भाटों की ढाणी, पटवार मण्डल पुनायता, तहसील पाली की सरहद में खसरा नं0 504 रकबा 16.05 बीघा, किस्म चाही चारम एवं खसरा नं0 505 रकबा 0.10 बीघा कृषि भूमि पर बिडला कृषि फार्म स्थित है। जिसमें अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ वर्ष 1990 से निवासरत्त है। इसके पडौस में खसरा न0 507 किस्म गै0मु0 गोचर भूमि स्थित है, जिसमें ग्रामवासी भाट जाति के लोगों द्वारा शमशान निर्माण की कार्यवाही करने पर अपीलांट द्वारा विरोध प्रकट किया गया। हाल ही में उक्त शमशान निर्माण की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने अपीलांट को ज्ञात हुआ कि जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक 5831 दिनांक 13.9.16 के द्वारा उक्त गोचर भूमि में से 03 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान निर्माण हेतु आरक्षित की गई है व इसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) पाली द्वारा नामान्तरकरण सं0 177 दिनांक 24.10.16 को स्वीकृत किया गया है। जिला कलेक्टर पाली द्वारा राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 के तहत आवंटित भूमि की किस्म खारीज करते हुए सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित की गई है। जो तभी की जा सकती है कि वहॉ पर पूर्व में शमशान नही हो और ना ही आस–पडौस में निवास करने वालों को कोई विशेष दुविधा हो। उक्त शमशान, ग्राम भाटो की ढाणी में भाट

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जाति के 50 घरों की आबादी हेतु आरक्षित किया गया है, जबकि इस जाति विशेष के लोगों का पूर्व से ही नाडी के पास शमशान स्थित है। इस प्रकार ग्राम मे एक छोटी सी ढाणी में दूसरा शमशान बनाने हेतु भूमि आरक्षित की गई है, जो आमजन को सुविधा प्रदान करने हेतु बनाये गये नियमों व अधिकारों का अविवेक पूर्ण प्रयोग है व गोचर में अतिक्रमणों लाभ पहुंचाने की नियत प्रकट करता है। जिसके लिए अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया और न ही प्रार्थी की शिकायतों पर कोई ध्यान दिया गया।

इसके अलावा उक्त गोचर भूमि के बदले ग्राम बल्दों की ढाणी में उल्लेखित खसरान की किस्म बारानी सोयम खारीज करते हुए गोचर भूमि घोषित की गई है, जो अन्य ढाणी में स्थित है। इस प्रकार जिला कलेक्टर पाली द्वारा पूर्व घोषित गोचर के छोटे–छोटे टुकड़े कर सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित/आवंटन अन्य जगह स्थित कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तित करते हुए छोटे–छोटे टुकडों में गै0मु0 गोचर भूमि घोषित करना विधिक प्रावधानों का उल्लंगन है। आरक्षित शमशान भूमि पर भाट जाति के लोग निर्माण कार्य हेतु उद्यत है, इससे अपीलांट को अपने कृषि फार्म में निवास पर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलांट व आस–पडौस के लोगों की सुख–सविधाओं के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 व 2 के राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मतः है, तथा उक्त समस्त कार्यवाही ग्रा0पं0 गिरादडा के आवेदन पर तहसीलदार पाली की जांच के उपरांत उपखण्ड अधिकारी पाली के प्रस्ताव पर की गई है। जिसके लिए ग्रा0पं0 गिरादडा की कोरम बैठक दिनांक 25.5.15 में प्रस्ताव सं0 01 सर्वसम्मति से लिया गया है। प्रस्तावित भूमि मौके पर शमशान हेतु उपयोग में ली जा रही है तथा आरक्षित भूमि के बदले इसी ग्रा0प0 के अन्य ग्राम में स्थित भूमि की किस्म खारिज कर गोचर भूमि घोषित कर दी गई है। शमशान हेतु आरक्षित खसरान की भूमि में खुद अपीलांट अतिक्रमी था, जिसे सरपंच, ग्र0पं0 गिरादडा एवं समस्त ग्रामवासी भाटों की ढाणी की शिकायत पर दिनांक 25.6.16 को हटाया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज करने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार उक्त प्रस्ताव ''राजस्व लोक अदालत–2015'' के दौरान केम्प कोर्ट गिरादडा में सरपंच ग्रा0पं0 गिरादड़ा के आवेदन पर,

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

तहसीलदार पाली की जांच उपरांत उप जिला कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली के पत्रांक 1253 दिनांक 26.08.2015 द्वारा जिला कलेक्टर पाली को प्रस्तावित किया गया। जिसमें बाद जांच/कार्यवाही जिला कलेक्टर पाली के पत्रांक 6431 दिनांक 18.12.2015 द्वारा प्रस्तावित भूमि की किस्म गोचर होने से क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त कर, प्रस्तावित गोचर भूमि के बदले इसी ग्रा0पं0 के अन्य ग्राम बल्दों की ढाणी में प्रस्तावित खसरान की भूमि को गोचर घोषित करते हुए विधिक प्रकिया पूर्ण कर, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अपीलांट का कथन है कि ग्राम भाटों की ढाणी के ख0नं0 507 में सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित भूमि, उसके खरीद एवं कब्जा काश्तशुदा ख0नं0 504 व 505 के पास अडोअड स्थित है। अपीलांट अपनी कृषि में निर्मित 'बिडला कृषि फार्म' में अपनी पत्नी के साथ वर्ष 1990 से निवासरत्त है। अतः शमशान हेतु आरक्षित भूमि के कारण, उसके सुखाचारों में विघ्न उत्पन्न होगा, इसकी शिकायत उसके द्वारा जिला कलेक्टर पाली को दिनांक 28.1.16 को प्रस्तुत करने के बावजूद उसे सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राम भाटों की ढाणी में भाटो के मात्र 50 घर है, जिनका शमशान पूर्व से ही नाडी के समीप बना हुआ है। अतः इतनी कम आबादी में एक ही ग्राम में एक से अधिक शमशान औचित्यपूर्ण नही है तथा उक्त खसरान में गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य ग्राम बल्दों की ढाणी में गोचर भूमि आरक्षित की गई है।

इसका परीक्षण अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में करने पर उक्त शिकायत के संदर्भ में उप जिला कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक 2008 दिनांक 4.3.15 में मुख्यतः यह उल्लेखित है "कि प्रस्तावित खसरान की भूमि अपीलांट के ख0नं0 504 व 505 के दक्षिण में स्थित है, जिसमें स्वयं अपीलांट 9.15 बीघा भूमि पर अवैधरूप से कब्जा काश्त है तथा इसी खसरे के आंशिक भाग में आधा बीघा भूमि ग्रामवासियों द्वारा शमशान भूमि के रूप में काम में ली जा रही है।" सरपंच, ग्रा0पं0 गिरादडा एवं समस्त ग्रामवासी भाटों की ढाणी की उक्त अतिक्रमण संबंधी शिकायत पर कार्यवाही के उपरांत दिनांक 25.6.16 की मौका फर्द के अनुसार दोनों ही अतिक्रमण हटा दिये गये थे। तो फिर पुनः इसी आधार पर कि प्रस्तावित भूमि शमशान हेतु उपयोग में ली जा रही है, को सार्वजनिक शमशान के रूप में आरक्षित किये जाने का क्या औचित्य है, जबकि अपीलांट के अनुसार इसी ग्राम के जाति विशेष के व्यक्तियों का पूर्व से शमशान

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

मौजूद है, वे पहले नदी किनारे तथा दूसरा इसी ख0न0 507 में स्थित नाड़ी के पास दाह संस्कार करते आ रहे है।

अतः उक्त प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला स्तर पर प्रस्ताव का समुचित मूल्यांकन "कि उक्त ग्राम की कितनी आबादी है व ग्राम में कितने शमशान पूर्व से स्थित है तथा इस ग्राम में शमशान हेतु भूमि आरक्षित करने की मांग औचित्यपूर्ण है अथवा नही ? के परीक्षण का अभाव पाया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश कमांक 5831 दिनांक 13.9.16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त आब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, औचित्यपूर्ण कार्यवाही के उपरांत, उचित समझे जाने पर आवंटन/नियमन की विधिक कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर